



01 अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा जनपद के गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक न ही जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे, उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिला बदर किए गए अपराधी का विवरण:-

थाना सिसोलर

1) निकेश सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम बक्सा थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को दिनांक 17/09/2021 से 6 माह की अवधि के लिए